



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.12.2025 को ग्राम महोखर में मामूली विवाद में बुजुर्ग व्यक्ति को मारकर कर दिया था गम्भीर रूप से घायल।

❖ अभियुक्त पर पूर्व में भी मारपीट, चोरी आदि सहित आधा दर्जन से अधिक मामलों है दर्ज।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.12.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 25.12.2025 को देर शाम ग्राम महोखर में शराब के ठेके के पास अभियुक्त द्वारा ग्राम महोखर के देवशरण तिवारी को मामूली विवाद में जानलेवा हमला कर लाठी से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था जिसके सम्बन्ध में पीड़ित के पुत्र वीरेन्द्र तिवारी की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 30.12.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम जारी बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास के गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।

बरामदगी-

- 1 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सत्यम यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी समोध महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 357/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 354/25 धारा 109 व 115(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सत्यम उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 198/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 123/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 49/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/127(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 205/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0- 275/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0- 101/22 धारा 379/411/413 भादवि थाना बिसंडा जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0- 85/24 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3(2)(5ए) थाना तिंदवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार
2. उ0नि0 श्री शिववीर सिंह
3. का0 सचिन पटेल
4. का0 ऋषिराज
5. का0 मनीष कुमार
6. का0 कौशलेन्द्र